



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE  
CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office  
पंचदीप भवन, सेक्टर 19-ए, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़  
PANCHDEEP BHAWAN, SECTOR 19-A,  
MADHYA MARG CHANDIGARH  
Phone-0172-2544126, Email: [rd-punjab@esic.nic.in](mailto:rd-punjab@esic.nic.in)  
Website: [www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in)

संख्या: A-22012/41/2022-प्रशा(चिकित्सा).Admin (Medical)

दिनांक: 20.09.2024

### वर्ष 2024 का कार्यालय आदेश संख्या 131

सक्षम प्राधिकारी ने स्थानांतरण समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थानांतरण वर्ष – 2024 के वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के तहत तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी के संबंध में स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं।

The Competent Authority, on recommendations of the Transfer Committee, has ordered Annual General transfer for the "Transfer year 2024" with immediate effect in respect of the following Nursing Officer :

Sr. No.	Employee No.	Employee Name	Designation	Present Location	Ordered Location
1	106652	Smt. Manpreet Kaur	Nursing Officer	ESIC Model Hospital, Ludhiana	DCBO, Firozpur

1. संबंधित अधिकारी की कार्यमुक्त / कार्यभार संभालने की रिपोर्ट [rd-punjab@esic.gov.in](mailto:rd-punjab@esic.gov.in) पर भेजी जाए।

Relieving/joining report may be sent to [rd-punjab@esic.gov.in](mailto:rd-punjab@esic.gov.in).

2. तकनीकी कारणों से HRMS portal में ऑनलाइन अनुशंसा अपलोड नहीं की जा सकती है। अतः स्थानांतरण समिति के कार्यवृत्त इस आदेश के साथ ही वेबसाइट पर सभी संबंधित की जानकारी के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

Due to technical reasons, Minutes of Transfer Committee is not being uploaded in HRMS portal and is made available on ESIC website for information of all concerned.

3. पूर्वोक्त संवर्ग की मौजूदा स्थानांतरण नीति निर्धारित करती है कि स्थानांतरण समिति की सिफारिशों पर वार्षिक सामान्य स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली अधिकारियों की सभी शिकायतों को आईसीटी प्रभाग द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। परंतु तकनीकी कारणों से ऑनलाइन Grievance module वर्तमान में क्रियान्वित नहीं किया जा सका है, अतः संबंधित अधिकारी अपनी शिकायत केवल स्वयं की आधिकारिक ईमेल के माध्यम से सभी संबंधित दस्तावेजों तथा अपना सम्पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध करवाते हुए ईमेल [jaspal.raai@esic.gov.in](mailto:jaspal.raai@esic.gov.in) पर दिनांक 23-09-2024 से 26-09-2024 तक प्रेषित कर सकते हैं। उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों पर ही नियमानुसार आगे की कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा। नर्सिंग अधिकारी अपनी शिकायत भेजते समय विषय में अपना नाम, कर्मचारी संख्या तथा कार्यालय आदेश संख्या को वर्णित करेंगे।

Existing transfer policy of aforesaid cadre prescribes that all the grievances from the Officers arising out of Annual General Transfer on the recommendations of Transfer Committee shall be received through online portal developed for the purpose. However, due to technical reasons the

grievance module in respect of Nursing Officers will not be available thus nursing officers will send their grievances with relevant documents and details through their official email ID to jaspal.raai@esic.gov.in from 23-09-2024 to 26-09-2024 only. Only the grievances received during the said period will be considered for further action as per rules. Nursing Officers submitting their grievances shall mention their name, employee ID and Office Order Number in the subject while submitting their grievance.

4. उपरोक्त पैरा के अनुसार केवल निर्धारित ईमेल पर प्राप्त शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। किसी भी नर्सिंग अधिकारी द्वारा कोई अलग से भौतिक आवेदन, ऑनलाइन शिकायत का स्क्रीनशॉट आदि, डाक या किसी अन्य ई-मेल से नहीं भेजा जाए क्योंकि इस कार्यालय द्वारा अन्य माध्यमों से भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित कार्यालय प्रमुख / नियंत्रण अधिकारी इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

Grievances received on the email mentioned in the above para shall be entertained only. No separate physical application, screenshot of online grievance etc, shall be sent by post or e-mail by any Nursing Officer, as such communication shall not be considered by this office. Heads of the Offices/Controlling Officers shall ensure the compliance of this direction.

Signed by Sanjay Kumar  
Gupta

Date: 20-09-2024 13:00:25

सहायक निदेशक (चिकि. प्रशा.)

-

1. संबंधित नर्सिंग अधिकारी को उनके नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से।
2. चिकित्सा शाखा – 6, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, लुधियाना।
4. राज्य चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।
5. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), औषधालय सह शाखा कार्यालय, राजपुरा / बरनाला / फिरोजपुर।
6. रोकड / वित्त एवं लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।
7. गार्ड फ़ाइल / कार्यालय आदेश फ़ाइल।